FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:–
दिदारखां पुत्र चांदखांजी मु.पो. झंवर
तहसील लूणी जिला जोधपुर पिन–342014

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
लोक सूचना अधिकारी
(तहसीलदार)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 47 / 2021
G.C.M.S. No. -2021/136
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/21	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो। जिला कलक्टर, पाली	856-857 28/5/21
18/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। तह० पाली (लो० सू० अ०) द्वारा पालना की जाकर प्रत्युत्तर जरिए ~~पत्रांक~~ 2260 दि० 4-6-2021 के सूचना निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है। इस न्यायालय से अपीलांट को नोटिस जारी किया जावे। कि वे अपना पक्ष रखना चाहते है तो स्वयं के खर्चे से व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय में अपने उप० होकर रख सकते हैं। पत्रावली दिनांक 16-7-21 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	936 21/6/21
16/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लो.सू.अ.(तहसीलदार) पाली के विरूद्ध पेश की गई है। इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट [illegible] द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध [illegible] जरिये पत्रांक /सू.अ./2021/[illegible] दिनांक [illegible] के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनके जरिये पत्रांक क्र./आरटीआई/2021/2260 दि० 4/6/2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस क्र. 936 दि. 21/6/21 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया। बावजूद	

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:17 IST
Reason: SelfAttested

इसके अपीलांट के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से यह माना जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है अतः हस्तगत अपील में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:17 IST
Reason: SelfAttested